पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर सुनी गई । प्रतिवादी (प्रार्थी) अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादी (अप्रार्थी) ने वादगत भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है । वादी ने घोषणात्मक व चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का दावा पेश किया है जबकि वादी ने वाद में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 30.10.2001 को वादी ने वादगत खेती में अपना हिस्सा पूनमचन्द व गिरधारी के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड परित्याग पत्र परित्याग कर दिया है । परित्याग पत्र के आधार पर वादगत भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के पक्ष में दर्ज हो गई थी । यह रजिस्टर्ड आज भी पूर्णतया प्रभाव में है । इस रजिस्टर्ड परिपत्र को जबतक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक वादी वादगत खेत के संबंध में घोषणात्मक वाद नहीं ला सकता । वादी ने वाद में रजिस्टर्ड परित्योग पत्र को निरस्त करवाने के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा है । वाद में प्रतिवादी के नाम की भूमि को अपने नाम से दर्ज भूमि को घोषणा करवाने का अनुतोष चाहा है । परित्योग पत्र प्रभाव में रहते हुए वादी वादगत खेत की भूमि अपने नाम से घोषा नहीं करवा सकता । इसी न्यायालय में गिरधारी बनाम मूनमचंद मुकदमा नम्बर 48/07 द्वारा वादगत खेत को बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने पर विभाजन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा पांती पूर्वी तरफ की भूमि रखी गई थी । उसके बाद से आज तक उस भूमि का कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग मुझे प्रतिवादी संख्या 1 का ही चला आ रहा है । इसलिये वादी का वादगत भूमि पर बिना कब्जा काश्त के घोषणात्मक दावा प्रस्तुत करने का ना तो वादहेतु प्राप्त है ना ही वादाधिकार प्राप्त है । इसलिये वादी का दावा कानूनी त्रुटियों से ग्रसित होने के कारण चलने योग्य नहीं है । वाद खारिज योग्य है । अतः खारिज किया जावें ।

वादी (अप्रार्थी) ने अपनी बहस में बताया कि वादी ने दावा दिनांक 12.8.2013 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादी द्वारा जबाब दावा व जबाब प्रार्थना पत्र काफी समय पूर्व प्रस्तुत कर चुके है । आरएलडब्ल्यू 2013(1) पेज नम्बर 145 में न्यायिक दृष्टांत के अनुसार भी प्रतिवादी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्टेज पर ही प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु प्रतिवादी ने दावा कार्यवाही देरीना करने की नीयत से प्रस्तुत किया है । वादी ने वाद में अंकित किया है कि उसकी पत्नी धूडीदेवी ने वादी के खिलाफ दहेज का मुकदमा नोखा न्यायालय में कर रखा है व उसने वादी को ध्यामकी दे रखी है कि वादी के हिस्से की जमीन वह भरण पोषण के मुकदमें में कुर्क व नीलाम करवा देगी । प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि की कुर्की व नीलामी से बचने के लिए वादी व बहिनों ने प्रतिवादी संख्या 1 व गिरधारी के पक्ष में एक बार नुमाईशी तौर पर परित्याग पत्र करवा दिया । वादी पर उसकी पत्नी द्वारा दर्ज मुकदमों का निस्तारण होने पर परित्याग की गई भूमि को वे वादी को वापिस भूमि सुपुर्द कर देंगे । वादे के मुताबिक गिरधारी ने तो वादी का हिस्सा लौटा दिया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने लालचवश नहीं लौटाया । नुमाईशी तौर पर मात्र कागजों में ही

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

आदान प्रदान किया गया था । प्रतिवादी संख्या 1 का मौका पर कोई कब्जा काश्त नहीं है । प्रतिवादी द्वारा उक्त खेतों की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने से इंकार होने के कारण ही प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणात्मक प चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करना पडा । वादी हर तरह से वाद हेतु व वादधार हासिल है । वादी के हस्तगत मामले में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन का सिद्धांत हर तरफ से वादी के पक्ष में साबित है । राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 207 के अनुसार जब किसी पक्षकार द्वारा आधे हिस्से के लिये अनुतोष चाहा गया हो तो किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज को रद्द करवाया जाना आवश्यक नहीं है । प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की परिधि में नहीं आता है । वादी का वाद ना तो विधि द्वारा वर्जित है ना ही किसी अन्य दोष से दावा ग्रस्त है । दावा में वादकारण बिल्कुंल स्पष्ट वर्णित किया गया है । वाद कारण सही है या नहीं यह साक्ष्य का विषय है इसलिये प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की परिधि में नहीं आता है । अप्रार्थी ने दावा कार्यवाकी को देरिना करने की नियम से हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रतिवादी क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आया है इसलिये प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वादी ने दिनांक 31.10.2001 को रजिस्टर्ड परित्याग पत्र से वादगत भूमि को प्रतिवादी के पक्ष में परित्याग कर दी थी । परित्याग पत्र में स्पष्ट लिखा है कि हम एवं हमारे सह हिस्सेदार पुत्र भाइ। गिरधारी व पूनमचन्द के साथ हमारे आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण है तथा इस उक्त खसरों की भूमि में कोई हक हिस्सा आदि नहीं रखना चाहते अतः हमारे सम्पूर्ण हिस्से को बिना किसी प्रतिफल या मुआवजे के अपने सह हिस्सेदारों के पक्ष में बहिस्सा बराबर परित्याग कर दी है । वादी का यह कथन कि उसने मौखिक रूप से हिस्से को परित्याग किया थाा बाद में पुनः उस भूमि को उसके हक के करना था परन्तु ऐसा नहीं किया । वादी ने यह भी कहा है कि वादी के एक भाई ने तो अपना हिस्सा उसके हक में दे दिया है परन्तु प्रतिवादी ने उक्त हिस्सा अभी तक नहीं दिया है । जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 46/2007 निर्णय दिनांक 20.7.2011 की प्रति जो वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है । यह वाद गिरधारी बनाम पूनमचन्द के मध्य है । जिसमें वादी को खातदारी देने का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है । बंटवारा गिरधारी व पूनमचन्द के मध्य हुआ है । वादी ने अपने पक्ष में विभिन्न न्यायालयों के निर्णय भी लगा रखे है जबकि इन निर्णयों का वाद से कोई सारोकार नहीं है । वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2056–2059 के अनुसार वादी वादगत खेत का रिकार्डेड खातेदार नहीं है । रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है । ऐसी स्थिति में हमारा मत है कि वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद लाने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः प्रतिवादी (प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है ।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.11.14 17:11:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: